283

संख्याः 231 / XV-1/13/ 1(12)/10

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 21 मार्च, 2013**

विषयः राज्य पशुचिकित्सा परिषद् (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजनान्तर्गत बजट अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3285/नि०/वैट०काउ०/बजट/2009–10 दिनांक 13.12.2013 एवं पत्र संख्या–4006/नि०/एक(2)/वैट०काउ०/बजट/12–13 दिनांक 5.01.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य पशुचिकित्सा परिषद् (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजनान्तर्गत रजिस्ट्रार, पशुचिकित्सा परिषद् के अतिथि गृह निर्माण एवं चाहरदीवारी हेतु आंकलित धनराशि क्रमशः ₹ 19.25 लाख एवं ₹ 0.72 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा क्रमशः ₹ 18.96 लाख + ₹ 0.65 लाख **कुल ₹ 19.61 लाख** की धनराशि औचित्यपूर्ण पाई गई है। शासनादेश संख्या–291/XV-1/10/1(10)/09 दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा पूर्व में योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि ₹ 9.68 लाख को कम करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 मे अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **₹ 9.93 लाख (₹ नौ लाख तिरानब्बे हजार मात्र)** की श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ठ किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लाई जाय।
5. कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्यों को आवंटित करते समय वित्त विभाग के प्रारूप पर एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित करवाया जाय।
6. आगणन में प्रावधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं

अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

10. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
11. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों व प्रचलित शासनादेशों को ध्यान में रखा जाय।
12. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
13. स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े। निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाये।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन योजना–24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–202(P)/XXVII-04/12 दिनांक 20 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 231 (1) / XV-1/ 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
5. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन०आई०सी० को बेवसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
7. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव